



साउथ ईस्टर्न कोलाफिल्ड्स लिमिटेड

(मिनी रत्न कंपनी)

CIN: U10102CT1985GOI003161

पंजीकृत कार्यालय : सीपत रोड, बिलासपुर (छ.ग.), 495006

कार्यालय- महाप्रबंधक, जिला- कोरबा (छ.ग.), 495677

फोन: 07759-221041, फैक्स: 07759-249040

वेबसाइट: www.secl.gov.in, ई-मेल: gmkrb.secl@coalindia.in

दिनांक 10/12/2021

कंमाक एस.ई.सी.एल/जीएम/कोरबा/2021/326

प्रति.

कलेक्टर महोदय

जिला - कोरबा (छगग)

विषय - बगदेवा भूमिगत खान के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ - कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ का प्रमाण पत्र।

1. क्र/ 2226/ भूअभि./स.अ.भूअ./2015 कोरबा, दिनांक 19.10.2015
2. क्र0/127/भूअ./ स.अ.भूअ./2015 कोरबा, दिनांक 15.01.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयातर्गत संबंध में लेख है कि बगदेवा भूमिगत खान के राजस्व वनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत वर्ष 2015 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पत्र क्र/2226/भूअभि./स.अ.भूअ./2015 कोरबा, दिनांक 19.10.2015 के माध्यम से वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पत्र क्र0/127/भूअ./स.अ.भूअ./2015 कोरबा दिनांक 15.01.2016 के माध्यम से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत 109.277 हे० राजस्व वनभूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसका डी.जी.पी.एस. सर्वे किया गया एवं पाया गया कि 109.277 हे० राजस्व वनभूमि के स्थान में मात्र 81.364 हे० राजस्व वनभूमि माइनिंग अधिकार के अंतर्गत है, जिसका खसरा विवरण संलग्न है।

इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त विषय के संबंध में आवेदित पत्र क्र० एसईसीएल/ जीएम/ कोरबा/ 19/ 308 दिनांक 02.12.2019 व पत्र क्र० एसईसीएल/ जीएम/ कोरबा/ 20/ 12 दिनांक 13.05.2020 के माध्यम से संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु लेख किया गया था। (छायाप्रति आपके अवलोकनार्थ हेतु संलग्न है।)

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व में जारी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत जारी प्रमाण पत्र को 109.277 हे० वनभूमि के स्थान पर 81.364 हे० राजस्व वनभूमि का संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय



13-12-2021

क्षेत्रीय महाप्रबंधक
एसईसीएल कोरबा क्षेत्र

प्रतिलिपि :-

1. तकनीकी निदेशक(यो/परि),एसईसीएल, बिलासपुर- सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य प्रबंधक(खनन), एसईसीएल, बिलासपुर
3. उपक्षेत्रीय प्रबंधक, बगदेवा भूमिगत खान।
4. स्टॉफ अधिकारी(पर्या/वन), कोरबा क्षेत्र।



साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड
CIN: U10102CT1985GO1003161 (मिनी रत्न कंपनी)

कार्यालय- महाप्रबंधक,

पो0आ0-कोरबा कॉलरी, जिला-कोरबा छ0ग0 495877

पत्र कं0-एसईसीएल/जीएम/कोरबा/19/308

दिनांक 02.12.2019

प्रति,

कलेक्टर महोदया,
जिला-कोरबा (छ0ग0)

विषय:- बगदेवा भूमिगत खदान के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

संदर्भ:- कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ का प्रमाण-पत्र -

01. कं./2226/भूअभि./स.अ.भूअ./2015 कोरबा दिनांक 19.10.2015

02. कं0/127/भूअ./स.अ.भूअ./2015 कोरबा दिनांक 15.01.2016

महोदया,

उपरोक्त विषयांतर्गत संबंध में लेख है कि बगदेवा भूमिगत खदान के राजस्व वनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत वर्ष 2015 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पत्र कं0/2226/भूअभि./स.अ.भूअ./2015 कोरबा दिनांक 19.10.2015 के माध्यम से वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पत्र कं0/127/भूअ./स.अ.भूअ./2015 कोरबा दिनांक 15.01.16 के माध्यम से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसका DGPS सर्वे किया गया एवं पाया गया कि 109.277 हे0 राजस्व वनभूमि के स्थान में मात्र 81.364 हे0 राजस्व वनभूमि माइनिंग लीज के अंदर है, जिसका खसरा विवरण संलग्न है।

अतः महोदया जी से अनुरोध है कि पूर्व में जारी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत जारी प्रमाण पत्र को 109.277 हे0 वनभूमि के स्थान पर 81.364 हे0 राजस्व वनभूमि का संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न-खसरा वनभूमि का खसरा विवरण

(अ) अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति



भव जी य

02/12/19

महाप्रबंधक,

एसईसीएल, कोरबा क्षेत्र

01

प्रतिलिपि:-

01. तकनीकी निदेशक (यो./परि.) एसईसीएल, बिलासपुर-सादर सूचनार्थ
02. मुख्य प्रबंधक (खनन), एसईसीएल, बिलासपुर
03. उपक्षेत्रीय प्रबंधक, बगदेवा उपक्षेत्र
04. स्टाफ अधिकारी (पर्या./वन), कोरबा क्षेत्र

54/19/6/10

महाप्रबंधक/उप क्षेत्रीय प्रबंधक
General Manager/Sub Area Manager
बिलासपुर-सिंघाली-बगदेवा, उपक्षेत्र
BLM-SBL-BAG, Sub Area.



साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड
CIN: U10102CT1985GO1003161 (मिनी रत्न कंपनी)

कार्यालय- महाप्रबंधक,

पो0आ0-कोरबा कॉलरी, जिला-कोरबा छ0ग0 495677

पत्र कं0:-एसईसीएल/जीएम/कोरबा/20/12

दिनांक 13.05.2020

प्रति,

कलेक्टर महोदया,
जिला-कोरबा (छ0ग0)

विषय:- बगदेवा भूमिगत खदान के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

- संदर्भ:- 01. पत्र कं0:- एसईसीएल/जीएम/कोरबा/19/308 दिनांक 02.12.2019
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ का प्रमाण-पत्र -
02. कं./2226/भू.अभि./स.अ.भू.अ./2015 कोरबा दिनांक 19.10.2015
03. कं0/127/भू.अ./स.अ.भू.अ./2015 कोरबा दिनांक 15.01.2016

महोदया,

उपरोक्त विषयातंगत संबंध में लेख है कि बगदेवा भूमिगत खदान के राजस्व वनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत पूर्व में जारी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत 109.277 हे0 वनभूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र हो चुका है। डीजीपीएस सर्वेक्षण उपरांत 109.277 हे0 वनभूमि के स्थान में 81.364 हे0 राजस्व वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु उपलब्ध है। उक्त संबंध में पत्र कं0:- 308 दि0 02.12.2019 के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है (छायप्रति संलग्न)।

अतः महोदया जी से अनुरोध है कि 109.277 हे0 वनभूमि के स्थान पर 81.364 हे0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:- वनभूमि का खसरा विवरण

भ व दी य

महाप्रबंधक,
एसईसीएल, कोरबा क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

01. मुख्य महाप्रबंधक (खनन/वन), एसईसीएल, बिलासपुर
02. उपक्षेत्रीय प्रबंधक, बगदेवा उपक्षेत्र
03. स्टाफ अधिकारी (पर्या./वन), कोरबा क्षेत्र



145-2020

महाप्रबंधक/उप क्षेत्रीय प्रबंधक
General Manager/Sub Area Manager

डेल्टाडीह-सिंघाली-बगदेवा, कोरबा क्षेत्र
DLH-SOL-BAG, Sub Area.

डिप्टी कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला - कोरवा (छत्तीसगढ़)

पू.अ./वन अभि./2020

कोरवा दिनांक 9/01/2020

1. वन पर्यवेक्षण विभाग
कोरवा
2. अनुभूतिभाषी अधिकारी (स.)
कोरवा
जिला - कोरवा (छ.ग.)

विषय :- वनसंरक्षण भूमिगत स्थान के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कायदा।

संदर्भ :- महाप्रबंधक, एराईटीएल, कोरवा क्षेत्र, जिला- कोरवा का वन अनाप-एराईटीएल/पीएम/कोरवा/19/2019 दिनांक 02.12.2019

संदर्भित पत्र की प्रमाप्ति संलग्न कर भेजी जा रही है, अतः अज्ञात करने का कष्ट करें। विषयानुसार वेतरी एराईटीएल कोरवा के परियोजना थानेका भूमिगत स्थान हेतु कार्यालयीन पत्र अनाप/2226/दिनांक-19.10.2015 एवं पत्र क्रमांक/127/दिनांक 15.01.2016 के तहत वनसंरक्षण प्रभावित वन भूमि का क्षेत्र नागिकी प्रयोजन वायस कुल रकबा 109.277 हेक्टर पर राज्य वनभूमि पर वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत FRA प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

संदर्भित पत्र के तहत महाप्रबंधक एराईटीएल कोरवा के तहत उक्त परियोजना में DSR तहसील उपखंड रकबा 109.277 हेक्टर पर राज्य वन भूमि के स्थान पर रकबा 81.354 हेक्टर पर राज्य वन भूमि (और उनके माईनिंग क्षेत्र के अंदर है) पर संशोधित वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत FRA प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निर्देशन किया गया है।

अतः उक्त संबंध में निम्नानुसार जानकारी प्रदाय करने का कष्ट करें-

1. संशोधित क्षेत्र का जांच प्रतिवेदन (वन अधिकार पत्र वितरण एवं शेष, विशेष पिछड़ी जनजाति निवासियों को नहीं है, जैसे अल्पसंख्यक, आदिवासी, भूत, पंचायत मध्यम, पाटशाला इत्यादि)।
2. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र।
3. उप खण्ड तारीख वन अधिकार समिति का अभिमत राशि प्रतिवेदन।

संलग्न - तयवेदनानुसार।

पू.अ./ 222 /पू.अ./वन अभि./2020
प्रतिनिधि -

महाप्रबंधक, एराईटीएल कोरवा, जिला कोरवा की ओर उनके संशोधित पत्र के तहत स्थान में प्रस्ताव।

डिप्टी कलेक्टर
एवं प्रभारी अधिकारी FRA
कोरवा (छत्तीसगढ़)
कोरवा दिनांक 9/01/2020

महाप्रबंधक/उप क्षेत्रीय प्रबंधक
General Manager/Sub Area Manager
देल्हाडीह-सिंघाली-बगटिया, उपखंड
DLH-SOL-BAG, Sub Area.

डिप्टी कलेक्टर
एवं प्रभारी अधिकारी FRA
कोरवा (छत्तीसगढ़)